

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 233 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डा० विद्या प्रकाश सिंह सहायक अध्यापक, हिन्दी/सामान्य जाति	22-05-2021	मोक्षद्वार इण्टर कालेज, सुरसहा, बहराइच।	गांधी इण्टर कालेज, कूबा, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3333-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 234 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश कुमार गुप्त सहायक अध्यापक, सा0वि0/पिछड़ी जाति	08-10-2021	महाकवि देव इं0का0, कुसमरा, मैनपुरी।	एस0बी0 इण्टर कालेज, तेरहीं, कप्तानगंज, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3343-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

235

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री बृजेश कुमार किंकर सहायक अध्यापक, संस्कृत/अनुजाति	24-07-2017	राष्ट्रीय इं0का0, बाली निचलौल, महाराजगंज।	तरुण इण्टर कालेज, कुण्डा, कुचाई, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3353-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

236

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री योगेन्द्र नाथ टंडन सहायक अध्यापक, विज्ञान/अनु० जाति	23-07-2011	श्री राम सुन्दर पाण्डेय सर्वोदय इं०का० गजियापुर, मऊ।	बापू इण्टर कालेज, कोपागंज, मऊ	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3363-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 237 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सौरभ कुमार मौर्य, प्रवक्ता-हिन्दी	05.05.2017	जनता इण्टर कालेज खेरागढ़ आगरा	श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया आजमगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 3373-82 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 239 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कंचन, स0अ0-कला	01.11.2021	एम0जी0एच0एम0 इण्टर कालेज मारहरा एटा	श्री अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज आजमगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 3393-3402 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 240 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रुचि मिश्रा प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र/सामान्य जाति	10-01-2022	बाबा लक्ष्मण दास द्वारा राष्ट्रीय इं0 का0, बैरिया, बलिया।	रामदहिन सिंह इं0का10,आमघाट, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3403-12

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 241 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री इन्द्रसेन यादव, प्रवक्ता-हिन्दी	01.09.2021	एस0बी0बी0ए0 इण्टर कालेज सहारनपुर	श्री गांधी स्मारक इण्टर कालेज बरदह आजमगढ़	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 3413-22

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


 (रामचैत)
 उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
 शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
 प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्या सामान्य (1) प्रथम/ 242 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है -

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनयकान्त चौबे, सहायक अध्यापक-गणित	15.10.2023	जग नारायण इण्टर कालेज, वीरपुर, गाजीपुर।	आदर्श इण्टर कालेज, मझौवा, बलिया।	रिक्ति के प्रति


24

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश

पृ0सं0 सामान्य (1) प्रथम/ 3423-32 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(राम चेत)
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)
मुख्यालय-प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 243 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिवानी पाठक, स0अ0-कला	01.12.2021	इन्द्रजीत इण्टर कालेज बैलोन बुलन्दशहर	डी0ए0वी0 बालिका इण्टर कालेज मऊ	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 3433-42

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 244 /2024-25 दिनांक 24 जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक सिंह, स0अ0-शारीरिक शिक्षा	19.11.2020	श्री नेहरू इण्टर कालेज अमहिया गोरखपुर	बाबा रघुबर दास इण्टर कालेज जमीलपुर आजमगढ़	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 3443-52

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

238

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अर्चना यादव सहायक अध्यापिका, सा0विज्ञान/पिछड़ी जाति	23-11-2021	श्रीमती सुशीला देवी आदर्श बालिका इं0का0, कोड़ा जहानाबाद, फतेहपुर।	विन्ध्येश्वरी इं0का0, तुलसीनगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3383-32

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

247

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री त्रिलोकी नाथ यादव प्रवक्ता, अंग्रेजी/सामान्य जाति	02-08-2008	श्री वैष्णव हरिहर दास इं0का0, शेरपुरकुटी, आजमगढ़।	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, बित्थरारोड, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3473-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)प्रथम/

246

/2024-25 दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार, स0अ0-सामा0विज्ञान	11.09.2017	भारतीय इण्टर कालेज तल्हेड़ी बुजुर्ग सहारनपुर	यदुनाथ इण्टर कालेज बहादुरपुर आजमगढ़	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)प्रथम/ 3463-72

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 248 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विरजू प्रवक्ता, अर्थशास्त्र/अनु0जाति	11-08-2012	विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर, मऊ।	जनता इण्टर कालेज, आतापुर, ओहनी, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।
/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3483-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

/2024-25, दिनोंक

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रमेश, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र/सा0जाति	17-11-2016	जनता इण्टर कालेज, आतापुर, ओहनी, आजमगढ़।	विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेल),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आदेश संख्या सामान्य (1) प्रथम/

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

245

/2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है -

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रहलाद यादव प्रवक्ता, भूगोल।	17.11.2021	हिन्दू इण्टर कालेज, कोसीकला, मथुरा	जनता इण्टर कालेज, अम्बारी, आजमगढ़	रिक्ति के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश

पृ0सं0 सामान्य (1) प्रथम/

3453-62

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(राम चेत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)

मुख्यालय-प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

249

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीती राय सहायक अध्यापिका, गृह विज्ञान/सामान्य जाति	14-12-2021	श्री रामेश्वर प्रसाद बालिका, उ0मा0वि0, रसड़ा, बलिया।	श्री अग्रसेन कन्या इं0का0, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3493-3502

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 250 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती निशा राय, सहायक अध्यापिका गृहविज्ञान/सामान्य जाति	13-12-2021	इण्टर कालेज, दिउली, बलिया।	श्री अग्रसेन कन्या इं0का0, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।
/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3563-3512

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या सामान्य (1) प्रथम/

251

/2024-25 दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है -

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिमला देवी, सहायक अध्यापिका, अनारक्षित	11.05.2021	सालपुर इण्टर कालेज, सालपुर अलीगढ़	महाराजगंज इं0का0 महाराजगंज, आजमगढ़	रिक्त के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश

पृ0सं0 सामान्य (1) प्रथम/

3513-22

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(राम चेत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)
मुख्यालय-प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

252

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुशील कुमार राय सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान	21-08-2017	पटेल स्मारक इं0का0 पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर।	के0एम0के0 इण्टर कालेज, पिपरीडी, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3523-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 253 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0पूजा मणि सहायक अध्यापिका, हिन्दी/अनु0 जाति	01-12-2021	स्त्री सुधार कन्या इं0का0 बरेली।	श्री अग्रसेन कन्या इं0का0, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3533-42

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 254 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मंजू वर्मा सहायक अध्यापिका, संस्कृत/पिछड़ी जाति	01-02-2021	श्री त्याग मूर्ति आत्माराम खेर इं0का0, गुरसराय, झांसी।	श्री अग्रसेन कन्या इं0का0, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3543-52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

255

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पंकज, सहायक अध्यापक, सामा0वि0/सामान्य जाति	23-10-2021	राष्ट्रीय इं0का0, लावड़, मेरठ।	श्री रामकृष्ण विद्यामन्दिर इं0का0, चोंदपुर पटवध, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।


/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3553-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 256 /2024-25, दिनांक 30 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री श्रवण कुमार विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक, कला/सा0जाति	25-10-2021	लगसमा विद्या निकेतन इण्टर कालेज, मुरवार, अलीगढ़।	तिलक इण्टर कालेज, फतेहपुर तालचवर, परसूपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3563-72 /2024-25, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 257 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, हिन्दी/सामान्य जाति	16-04-2021	किसान उ० मा० वि०, ठोठरी बाजार, सिद्धार्थनगर।	नेहरू उ० मा० वि० सिकरौरा भुवना बुजुर्ग, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3573-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


 (रामचेत),
 उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
 प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

258

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेखा पाण्डेय, सहायक अध्यापिका, हिन्दी/सामान्य जाति	01-07-2021	एस0डी0 इण्टर कालेज, सहारनपुर।	आदर्श इ0का0 महेशपुर,आजमगढ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3583-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 259 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जितेन्द्र सिंह, कुशवाहा प्रवक्ता, भूगोल/पिछड़ी जाति	26-11-2021	एम0एम0जे0ई0सी0इण्टर कालेज, खुरजा, बुलन्दशहर।	नेहरू इण्टर कालेज, रतनपुरा, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3593-3602 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 260 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सत्यपाल यादव प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र/सा0जाति	12-07-2019	गांधी इण्टर कालेज, दड़ियाल, रामपुर।	बाबा देवनाथ राव इं0का0 खरगपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3603-3612 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

261

/2024-25, दिनांक

24 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अरविन्द कुमार सहायक अध्यापक, हिन्दी/अनुज्ञाति	06-09-2010	डी0ए0वी0 उ0मा0वि0, कुसमरा, मैनपुरी।	श्री गांधी उ0 मा0 वि0, छिछोर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3613-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 262 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आनन्द कुमार राय सहायक अध्यापक, अंग्रेजी/सा0जाति	22-11-2021	श्री रामसुन्दर पाण्डेय सर्वोदय इं0का0, गजियापुर, मऊ।	विकट्री इण्टर कालेज, दोहरीघाट, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3623-32 /2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

263

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतीश चन्द यादव सहायक अध्यापक, हिन्दी/सामान्य	12-08-2021	देव इण्टर कालेज, झौलघा, बागपत।	भदाव इण्टर कालेज, थलईपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3633-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 264 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ममता देवी प्रवक्ता, हिन्दी/पिछड़ी जाति	18-09-2012	श्री मारुति विद्यालय इं0का0,एदिलपुर, आजमगढ़।	श्री अग्रसेन कन्या इं0का0 आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3643-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 265 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनोद यादव सहायक अध्यापक, संस्कृत/सा0जाति	02-08-2017	महात्मागांधी मेमोरियल इं0का0, बहेड़ी, बरेली।	बापू इण्टर कालेज, सियरही, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3653-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 266 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश यादव सहायक अध्यापक, सा0वि0/सा0जाति	13-10-2021	गौतम इण्टर कालेज, पिपरा, गौतम, बस्ती।	ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3663-72

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 267 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री श्रवण कुमार, सहायक अध्यापक, सा0वि0/अनु0जाति	13-10-2021	जनता विद्यामन्दिर इं0का0, उदयराजगंज, सिद्धार्थनगर।	अमर शहीद भगत सिंह इं0का0,रसड़ा, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3673-82 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

268

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, सा0वि0/सामान्य जाति	10-09-2022	राजस्थान इं0का0, मीरजापुर।	नेहरू इं0का0, रतनपुरा, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3683-92

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

269

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है,-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक मिश्र सहायक अध्यापक, कला/सा0जाति	08-12-2021	किसान उ0मा0वि0, घाघऊ, फिरोजाबाद।	संत विनोबा इ0का0,सिपाह दोहरीघाट, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3693-3702

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी,-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 270 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कृष्ण कुमार शुक्ला सहायक अध्यापक, सा0वि0/सा0जाति	23-11-2021	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन इं0का0, पिपरा मदन गोपाल, देवरिया।	डी0ए0वी0 इं0का0 आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3703-12

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (सा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

271

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनू सिंह पटेल सहायक अध्यापिका, हिन्दी/सा0जाति	30-11-2021	श्री हनुमान आचार्य कुल इ0का0,धनौड़ा, गोरखपुर।	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3713-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 272 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार मौर्या सहायक अध्यापक, गणित/पिछड़ी जाति	14-08-2020	श्री केदार नारायण कृषक इका0 उचौरी, गाजीपुर।	डी0ए0वी0 इका0, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3723-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

273

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश कुमार मौर्या, सहायक अध्यापक गणित	07-08-2020	गांधी उ०मा०वि० रामपुर,कानूनगोयान बलिया।	विन्ध्येश्वरी इण्टर कालेज, तुलसीनगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3733-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 274 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक संस्कृत	07-05-2012	श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इ0का0 सरदहा बाजार, आजमगढ़।	सिद्धेश्वरी जनता इण्टर कालेज, जेटहरी, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।
/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3743-52
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(शमचेत)
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 275 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनय कुमार सिंह सहायक अध्यापक, विज्ञान/सा0जाति	03-04-2012	जुनता आदर्श इण्टर कालेज, गौराबाजार, सिद्धार्थनगर	श्री राम राष्ट्रीय इं0का10 जहानागंज, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3753-62

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 277 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुनील कुमार राम सहायक अध्यापक, सा0वि0/अनु0जाति	09-08-2017	बल्देव प्रसाद नागरिक इं0का0,अमवां श्रावस्ती	जंगली बाबा इण्टर कालेज, गड़वार, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3773-82

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनआदेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभय कुमार, सहायक अध्यापक, विज्ञान/सामान्य जाति	12-03-2021	वर्णा इण्टर कालेज, बरनाहल, मैनपुरी।	श्री परमहंस इ0का0, देवपुर, हनुमाननगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/ 2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3783-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

294

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सीमा यादव सहायक अध्यापिका, संस्कृत/पिछड़ी जाति	25-11-2021	मोक्षद्वार इण्टर कालेज, कुरसहा, बहराइच।	बाबा देवनाथ राय इं0का0 खरगपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3943-52

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अप्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-2),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

295

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार यादव, सहायक अध्यापक, कला/पिछड़ी जाति	17-12-2021	सिद्धेश्वरनाथ इं0का10, कालेज, नारायणपुर, बलिया।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुदर्शन सिंह इं0का10, बहुअरा, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3953-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

293

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रजनीश कुमार राय सहायक अध्यापक, गणित/सामान्य जाति	10-05-2022	टाउन नेशनल इंका0, सैदपुर, गाजीपुर।	गांधी इंका0, सिकन्दरपुर, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3933-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

292

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुशील कुमार पाठक सहायक अध्यापक, सा0वि0/सा0जाति	01-12-2021	मेहिनी आदर्श इं0का0,बाढौंन, अलीगढ़।	पंचायत इण्टर कालेज, गौरा, मेंहनगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी),

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3923-32

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

296

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग दुबे सहायक अध्यापक, सा0वि0/सामान्य जाति	24-09-2022	म्हावीर इं0का0, मलिकपुरा, गाजीपुर।	ग्राम समाज इं0का0,जयनगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3963-72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 291 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत कुमार यादव, सहायक अध्यापक, साठविज्ञान/पिछड़ी जाति	20-08-2019	हिन्दू राष्ट्रीय इं0का0, गंगोह, सहारनपुर।	श्री गांधी महाविद्यालय मलप, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3913-22 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 297 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अब्दुल वदूद सहायक अध्यापक उर्दू	28-08-2010	श्री हर्ष पाण्डेय आदर्श इं0का0,शाहाबाद, हरदोई।	गांधी विद्यालय इं0का0,मारुफपुर, मर्यादपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3973-82 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 298 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत कुमार मौर्य, प्रवक्ता, अंग्रेजी/पिछड़ी जाति	01-07-2021	बी0एन0बी0इण्टर कालेज,राठ, हमीरपुर।	आदर्श इण्टर कालेज, औती गौरी, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3983-92

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 290 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश सहायक अध्यापक, संस्कृत/अनु0जाति	21-03-2012	चतुर्वेदी इण्टर कालेज, जहांगीरपुर, कासगंज।	एस0बी0 इ0का0, तेरहीं, कप्तानगंज, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3903-12 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 289 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राज कपूर मिश्र सहायक अध्यापक, सा0वि0/सा0जाति	30-07-2019	भगवान बुद्ध इण्टर कालेज, सण्डीला, हरदोई।	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3893-3902 /2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 288 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुधीर सिंह सहायक अध्यापक, विज्ञान/सामान्य जाति	01-10-2022	पंचायत इण्टर कालेज, रेण्डा, आजमगढ़।	पटेल मेमोरियल इं0का0, अतरौलिया, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3883-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

787

शिक्षा निदेशक

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

287

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अमृता राय सहायक अध्यापिका, गृह विज्ञान/सामान्य जाति	23-12-2021	आचार्य जे0वी0 कृपलानी इ0का0, जमालपुर, बलिया।	गांधी इ0का0, किशुनदासपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3873-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

299

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अशोक कुमार राय, सहायक अध्यापक गणित/सा0जाति	30-12-2010	श्री हरिवंश बाबा इण्टर कालेज, पूर, बलिया।	श्री लक्ष्मीराज देवी इण्टर कालेज, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),


उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3993-4002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी,:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।



(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

286

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अंशू सिंह सहायक अध्यापिका, हिन्दी	21-05-2021	आर्य कन्या इं0का0, गुलावटी, बुलन्दशहर।	सोनीधापा खण्डेलवाल, बालिका इं0का0, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3863-72

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 285 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश कुमार यादव सहायक अध्यापक, संस्कृत/सा0जाति	01-03-2021	बनारसी दास इण्टर कालेज, खेड़ा मुगल, सहारनपुर।	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3853-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

284

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मिथिलेश कुमार मौर्य, सहायक अध्यापक, जीवविज्ञान/पिछड़ी जाति	28-07-2022	राष्ट्रीय इं0का0, कमालपुर, चन्दौली।	जनता इं0का0, टेकमा, बिजौली, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3843-52

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

300

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री घनश्याम साहनी प्रवक्ता, हिन्दी/पिछड़ी जाति	10-05-2022	बाबा लक्ष्मण दास बाबा राष्ट्रीय इं0का0, बैरिया, बलिया।	बापू इण्टर कालेज, कोपागंज, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4003-4012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 283 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जगत नारायण मौर्य, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र/पिछड़ी जाति	30-12-2019	जे0जे0 इ0का0, सुल्तानपुर, चिलकाना, सहारनपुर।	जनता इ0का0, नगरा, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3833-42 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

282

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनम सहायक अध्यापिका, सा0विज्ञान/अनु0 जाति	20-12-2021	श्री गंगा सागर मिश्र स्मारक कन्या उ0मा0वि0, भगवन्तनगर,मल्लावां, हरदोई।	गांधी विद्यालय इं0का0 मारुफपुर मर्यादपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3823-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचंद्र)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

301

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सत्येन्द्र कुमार सहायक अध्यापक, कला	01-08-2017	सम्राट अशोक उ०मा०वि० करहना, संतकबीरनगर	श्री अमरनाथ आदर्श इ०का०, खेजुरी, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 4013-4022

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

281

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार सिंह सहायक अध्यापक, सा0 विज्ञान/सा0जाति	01-02-2021	एम0पी0एम0 इं0का0,शिमलाना, सहारनपुर।	पटेल मेमोरियल इं0का0, अतरौलिया, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3813-22

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 280 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजमणि सिंह सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान	03-12-2021	कल्याणकारी इण्टर कालेज, बधरा, मुजफ्फरनगर।	जनता इण्टर कालेज, निजामाबाद, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 3803-12 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

279

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश कुमार यादव, सहायक अध्यापक, कला/पिछड़ी जाति	21-08-2012	लाला इन्द्रप्रकाश जनता इ०का०, बाबरी, शामली।	डी०ए०वी० इ०का०, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

3793-3802

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

429

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है,-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान	16-05-2012	श्री गांधी उ०मा०वि०, छिछोर, मऊ।	श्री अन्नू राय इण्टर कालेज, चौरा बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5313-22

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी,-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

430

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुशील कुमार पाण्डेय सहायक अध्यापक, जीव विज्ञान	08-12-2021	मनियर इण्टर कालेज, मनियर बलिया।	पंचायत इं0का0 खानपुर, सरायमीर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5323-32

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

431

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक जी सहायक अध्यापक, शारीरिक शिक्षा	02-11-2020	किसान इण्टर कालेज, सिकटा, सिद्धार्थनगर।	आदर्श इण्टर कालेज, मझौवा, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5333-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।



(रामचेल),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

432

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, विज्ञान/सामान्य जाति	01-12-2010	अमर शहीद भगत सिंह इं0का0, रसड़ा, बलिया।	श्री मुरली मनोहर टाउन इं0का0, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5343-53

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

433

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शालिनी राय, सहायक अध्यापिका, गृहविज्ञान/सामान्य जाति	29-11-2021	स्वतंत्र भारत इं0का0, सुरजावली वाया खुर्जा, बुलन्दशहर।	श्री नरसिंह इं0का0, बैरमपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5354-63

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

434

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रशान्त कुमार राय, सहायक अध्यापक, हिन्दी/सामान्य जाति	01-08-2017	मथुरिया किसान इ0का0, भीमपुर, बुलन्दशहर।	जनता इ0का0, ठेकमा, बिजौली, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5364-74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

435

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राम रतन चौधरी सहायक अध्यापक, हिन्दी	19-05-2021	ए0एच0पी0 इण्टर कालेज, छुटमलपुर, सहारनपुर।	लोक शिक्षा परिषद इण्टर कालेज, सरदहा बाजार, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5375-84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 436 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संध्या सिंह सहायक अध्यापिका, गृह विज्ञान/सा0जाति	01-12-2021	जी0एस0ए0एस0 इण्टर कालेज, मुरसान, हाथरस।	श्री गांधी स्मारक इण्टर कालेज, कौड़िया, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5385-94

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

437

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रवीन्द्र नाथ यादव, प्रवक्ता, भौ0विज्ञान/पिछड़ी जाति	30-06-2021	सुखपुरा इण्टर कालेज, सुखपुरा, बलिया।	मुरली मनोहर टाउन इं0का0, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तद्दिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5395-5404

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यरूपन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

438

/2024-25, दिनोंक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत कुमार यादव, प्रवक्ता, हिन्दी/सामान्य जाति	06-12-2021	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, डेढ़गावा, ग़ाजीपुर।	मोती लाल नेहरू स्मारक इ०का०, रामनगर, वैजावारी, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार त्रिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनोंक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5405-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

439

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अखिलेश कुमार सिंह सहायक अध्यापक, सा0वि0/सामान्य जाति	03-10-2023	राम विभूति यादव द्वाबा विकास इं0का0, घनघटा, संतकबीरनगर।	आदर्श इं0का0, अंवती गौरी, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5415-24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

440

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024=1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार चौहान सहायक अध्यापक अंग्रेजी	08-10-2016	रहावती इण्टर कालेज, रहावती, मेरठ।	नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, फ़ैजुल्लाहपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5425-34

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 441 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार, सहायक अध्यापक, विज्ञान/पिछड़ी जाति	28-12-2021	मोती लाल नेहरू इं0का0, दुधरा, गोरखपुर।	हीरा लाल स्मारक इं0का0, भरौली, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5435-44

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामधेन),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 462 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती फरहा नाज सहायक अध्यापिका, अंग्रेजी/पिछड़ी जाति	30-12-2019	लोकमान्य इं0का0 जानकीनगर सेवर्ही, कुशीनगर।	टाउन इं0का0, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।
/2024-25, तद्दिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5445-54

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

443

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रीना सहायक अध्यापिका, संस्कृत/सा0जाति	28-11-2018	महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इण्टर कालेज, एटा।	तरुण इण्टर कालेज, कुण्डा, कुचाई, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5455-64

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

८८८

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मनीराम यादव, सहायक अध्यापक, सा0 विज्ञान/सामान्य	26-10-2021	श्री सरस्वती इं0का0, तीतरों, सहारनपुर।	बाबा थानीदास ग्रामीण विद्यापीठ, इं0का0, अमिला, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5465-74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- 1 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3 सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5 सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6 गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

445

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पवन कुमार यादव सहायक अध्यापक, शा0शि0/पिछड़ी जाति	26-11-2021	जनता उ0मा0वि0,धर्मसिंहवा, संतकबीरनगर।	पंचायत इण्टर कालेज, गौरा, मेंहनगर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी),
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5475-84

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

446

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा सहायक अध्यापिका, हिन्दी/सामान्य	13-12-2021	श्री अन्नू राय इं0का0, चौरा बलिया।	आदर्श इण्टर कालेज, बरडीहा, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5485-94

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 447 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय कुमार तिवारी सहायक अध्यापक, गणित /सामान्य जाति	04-08-2020	आदर्श इं0का0, महेशपुर, आजमगढ़	श्री परमहंस इं0का0 मझावली, बलिया।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5495-5504

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

448

/2024-25, दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री फिरोज कुमार यादव, सहायक अध्यापक कला/पिछड़ी जाति	01-11-2021	मथुरिया किसान इं0का0, भीमपुर, बुलन्दशहर।	यदुनाथ इण्टर कालेज, बहादुरपुर, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/

5505-5514

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 449 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री लक्ष्मीकान्त राय, सहायक अध्यापक, अंग्रेजी/सामान्य जाति	06-01-2022	डी0ए0वी0 इ0का0, बेल्थरारोड, बलिया।	गांधी इण्टर कालेज, मालटारी, आजमगढ़।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5515-24 /2024-25, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 451 /2024-25, दिनांक 29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रमेश, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र/सा0जाति	17-11-2016	जनता इण्टर कालेज, आतापुर, ओहनी, आजमगढ़।	विभूति नारायण इण्टर कालेज, सूरजपुर, मऊ।	रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) प्रथम/ 5535-44 /2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या सामान्य (1) प्रथम/

453

/2024-25 दिनांक

29 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है -

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सुषमा यादव, सहायक अध्यापिका, अंग्रेजी, पि0जा0	11.12.2021	श्री सत्यसेवा बालिका इं0का0 मालटारी, आजमगढ़।	पं0जवाहर लाल नेहरू उ0मा0वि0 नगर प्रेम गोरखपुर।	पारस्परिक स्थानान्तरण से होने वाले रिक्त पद के प्रति।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश

पृ0सं0 सामान्य (1) प्रथम/

5555-64

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(राम चेत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)
मुख्यालय-प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या सामान्य (1) प्रथम/ 452 /2024-25 दिनांक 23 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है -

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती ममता यादव, सहायक अध्यापिका, अंग्रेजी, पि0जा0	02.02.2021	पं0जवाहर लाल नेहरू उ0मा0वि0 नगर प्रेम गोरखपुर।	श्री सत्यसेवा बालिका इं0का0 मालटारी, आजमगढ़।	पारस्परिक स्थानान्तरण से होने वाले रिक्त पद के प्रति।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश

पू0सं0 सामान्य (1) प्रथम/ 5546-54 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं संबंधित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाम अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- संबंधित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(राम चेत)
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3)
मुख्यालय-प्रयागराज।